रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247765 CG-DL-E-01082023-247765

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] No. 452] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

आय-कर

सा.का.िन. 579(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पिठत धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6कखखक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु :--

"6कखखख. धारा 35घ के अधीन उपगत प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्ररूप—

4948 GI/2023 (1)

- (1) निर्धारिती द्वारा धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अधीन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यय का विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए प्ररूप सं. 3कच में होगा।
- (2) प्ररूप सं. 3कच, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (3) प्ररूप सं. 3कच, यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (4) प्ररूप सं. 3कच, निम्नलिखित इलैक्ट्रॉनिक ढ़ंग से प्रस्तुत किया जाएगा,--
 - (i) यदि आय की विवरण, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, जो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
 - (ii) खंड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले में इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से।
- (5) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप सं. 3कच प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विरचित और सुजित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (6) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति प्ररूप सं. 3कच को निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।"।
- 3. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3कङ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 3कङ

[नियम 6कख देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा *35घ(4)/धारा 35ङ(6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

	*मैंने/हम	ने मैस	र्ज						के तार्र	ख		को	यथा
विद्य	मान तुलन	-पत्र (^प	पत्रों)	और *उस	तारीख/(उन	तारीखों)	को समाप्त	हुए वर्ष (वर्षों) के	लाभ और	हानि लेखा	(लेख	गओं)
की	जांच	की	है,	जो					में	स्थित	मुख्यालय'	*	और
					में स्थित	शाखाओं	में रखी गई	ई लेखा बहि	हेयों के अ	नुरूप है ।			

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। *मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखा-बिहयों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते, ऊपर नामित निर्धारिती के *मेरे/हमारे द्वारा दौरा किए गए मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-बिहयां रखी गई हैं और *मेरे/हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित लेखा-बिहयां प्रापत की गई है—

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और ठीक जानकारी दी गई है—

(i) तुलन-पत्र (पत्रों) की दशा में तारीख को ऊपर नामित निर्धारिती के कार्यकलाप की स्थिति को, और

(ii) लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की दशा में तारीख	को समाप्त	होने व	त्राले ः	उसके र	लेखा	वर्ष
(वर्षों) के लिए ऊपर नामित निर्धारिती के लाभ या हानि को ।						

धारा *35घ/धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण संलग्न है और *मेरी/हमारी राय में **और** *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कार्यकलाप की स्थिति को और विश्वास के अनुसार ये सत्य और सही है।

स्थान :	हस्ताक्षरित :
तारीख :	लेखाकार
	नाम :
	पता :
	सदस्यता संख्या :

टिप्पणियां :

- 1. * जो लागू न हो उसे काट दें।
- 2. †यह रिपोर्ट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा दी जानी है।
- जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

प्ररूप सं. 3कङ का उपाबंध

	अनुभाग क	
	धारा 35घ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण	
1.	कारबार आरंभ करने की तारीख	
2.	जहां कटौती का दावा, किसी औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत व्यय के प्रति निर्देश में किया जाता है, वहां विस्तार पूरा होने की या नई औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन या प्रचालन आरंभ करने की तारीख बताएं।	
*3.	व्यय की अर्हक रकम :	
	† निम्नलिखित के संबंध में व्यय	
	(i) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	रुपए
	(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	रुपए
	(iii) बाजार का सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना, जो निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक हो	रुपए
	(iv) निर्धारिती के कारबार से संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं	रुपए
	(ख) निर्धारिती के कारबार को स्थापित करने या उसका प्रचालन करने से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए जाने वाले किसी करार के प्रारूपण के लिए विधिक	
	प्रभार	रुपए
	योग	रुपए
	क्या प्ररूप 3कच, नियम 6कखखख के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत हां/नहीं किया गया है ।	

‡4. परियोजना की लागत, अर्थात्, निम्नलिखित की	वास्तविक लागत :
(i) भूमि और भवन (विकास पर किए गए	व्यय सहित)रुपए
(ii) पट्टा धृतियां	रुपए
(iii)संयंत्र और मशीनरी	रुपए
(iv) फर्नीचर और फिटिंग	रुपए
(v) रेल साइर्डिंग	रुपए
योग	रुपए
5. धारा 35घ के अधीन दावा की गई कटौती	रुपए
स्थान :	हस्ताक्षरित :
तारीख :	लेखाकार
	नाम :
	पता :
	सदस्यता संख्या :
अन	भाग ख
धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए	
 खिनज (खिनजों) का या सहबद्ध खिनज के समूह जिसके (जिनके) संबंध में पूर्वेक्षण या विकास से संब गए 	• • • • •
2. वाणिज्यिक उत्पादन का वर्ष	
2	
3. व्यय की अर्हक रकम :	
वर्ष, जिसमें व्यय उपगत किया गया	व्यय की रकम (ब्यौरे दें) रुपए
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
स्थान :	हस्ताक्षरित :
तारीख :	लेखाकार

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

नाम :
पता :
सदस्यता संख्या :

- *जहां अर्हक व्यय एक वर्ष से अधिक वर्षों के दौरान उपगत किया गया है, वहां व्यय का वर्षवार ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
- † इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 से पूर्व व्यय का दावा केवल तभी किया जाना चाहिए, जब व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने या इंजीनियरी सेवाओं से जुड़ा कार्य स्वयं निर्धारिती या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी समुत्थान द्वारा किया गया हो। इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 के पश्चात् व्यय के लिए प्ररूप 3कच भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- ‡ ऐसे मामले में, जहां दावा, कारबार के आरंभ से पूर्व उपगत प्रारंभिक व्ययों से संबंधित है, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों की वास्तिवक लागत दी जानी चाहिए। जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, जिसमें कारबार आरंभ किया गया था, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, ऐसे किसी मामले में, जहां व्यय औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत किए गए हों, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों (जहां तक ऐसी आस्तियों को औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित किया गया था) की वास्तिवक लागत दी जानी चाहिए, जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, जिसमें औद्योगिक उपक्रम के विस्तार पूरा किया गया था या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन या प्रचालन आरंभ किया था।

प्ररूप सं. 3कच [नियम 6कखखख देखिए] (ई-प्ररूप)

निर्धारिती द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा *35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अधीन उपगत प्रारंभिक व्ययों के संबंधित प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण ।

निध	रिती का नाम	नाम										
			प्रास्थिति									
				आवासीय प्रास्थिति								
			स्थायी खाता र	संख्यांक -								
			आधार संख्या	(यदि लागृ	(हो)							
					कर कटौती उ	और संग्रह <u>ा</u>	ग खाता					
					संख्यांक (यदि	लागू हो)						
					पता							
सुसंग	ात पूर्व वर्ष, जिसवे	क लिए विवरर् <u>ण</u>	ो फाइल की जा र	ही है								
	*के संबंध में उपगत व्यय के ब्यौरे											
	व्यय											
	क्रियाकलाप	क्या	क्रियाकलाप	व्यक्ति(यों)	क्या (स्वयं	व्यय की रकम (रु. में)			यदि स्रोत पर कर			
	की प्रकृति	निर्धारिती	करने वाले	का स्थायी	निर्धारिती से			कटौती किया गया		केया गया		
		द्वारा स्वयं	व्यक्ति(यों)	खाता	भिन्न) व्यक्ति			है तो निम्नलिखित				
	देखे)	किया गया	का नाम और	संख्यांक	को			बताएं				
		(हां/नहीं)	पता (टिप्पण		क्रियाकलाप							
	2 देखे)				करने का पूर्व							
					अनुभव है							
					(हां/नहीं)			1				
						नकद	नकद	कुल	_	धारा,		
						संदत्त	से		किए	जिसके		

				अन्य	गए	अधीन
				था	कर की	स्रोत पर
				संदत्त	रकम	कर
					(रु. में)	कटौती
						किया
						गया है
क.	व्यवहार्यता					
	रिपोर्ट तैयार					
	करना					
ख.	परियोजना					
	रिपोर्ट तैयार					
	करना					
ग.	बाजार					
	सर्वेक्षण या					
	कोई अन्य					
	सर्वेक्षण					
	करना, जो					
	निर्धारिती के					
	कारबार के					
	लिए आवश्यक					
	हो					
घ.	निर्धारिती के					
	कारबार से					
	संबद्ध					
	इंजीनियरिंग					
	सेवाएं					

सत्यापन

मैं,	घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित जानकारी, मेरे	सर्वोतम ज्ञ	ान और
विश्वास के अनुसार सत्य है । आज	तारीख को सत्यापित ।		
स्थान :			
तारीख :	पाधिकत इस्ताक्षरी के इस्ताक्षर :		

टिप्पणियां :

- एक से अधिक व्यक्ति द्वारा क्रियाकलाप करने के मामले में, पृथक् ब्यौरे फाइल किए जाएं।
- 2. यदि स्वयं निर्धारिती द्वारा किया गया, तो "स्वयं" लिखें।

[अधिसूचना सं. 54/2023/ फा. सं. 370142/24/2023- टीपीएल]

जिवितेश आनन्द, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

^{*} ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराए जाएं।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 519 (अ), तारीख 18.7.2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2023

INCOME-TAX

- **G.S.R. 579(E).**—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 35D read with section 295 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Income-tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2024.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 6ABBA, the following rule shall be inserted, namely:—

"6ABBB. Form of statement to be furnished regarding preliminary expenses incurred under section 35D.—

- (1) The statement containing particulars of expenditure required to be furnished under proviso to clause (a) of subsection (2) of section 35D by the assessee shall be in Form No. 3AF for each previous year.
- (2) Form No. 3AF shall be furnished one month prior to the due date for furnishing the return of income as specified under sub-section (1) of section 139.
- (3) Form No. 3AF shall be furnished to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).
- (4) Form No. 3AF, shall be furnished electronically,—
 - (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
 - (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).
- (5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedures for furnishing Form No. 3AF and shall also be responsible for formulating and evolving appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the form so furnished.
- (6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall forward Form No. 3AF to the Assessing Officer.".
- 3. In the principal rules, in Appendix II, for Form No. 3AE, the following Forms shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 3AE [See rule 6AB] (e-Form)

Audit Report under section * 35D(4)/35E(6) of the Income-tax Act, 1961

*	I/We	have	examin	ied	the	Balance	Sh	eet(s)	of	M/s					_ as	at
						and	the	Profit	and	Loss	Account(s)	for	the	year(s)	ended	on
			*	tha	at/those	e date(s) w	hich	are in	agreer	nent w	ith the books	of a	accou	nt mainta	ained at	the
hea	d office	at					* a	nd bran	ches a	ıt	·					

^{*} I/We have obtained all the information and explanations which to the best of * my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In * my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above named assessee visited by * me/us so far as appears from * my/our examination

	books, and proper returns adequate for the purposes of audit have, subject to the comments given below:-	e been received from branches not visited by *
accour (i	ny/our opinion and to the best of * my/our information and according to give a true and fair view:-) in the case of the Balance Sheet(s) of the state of; and i) in the case of the Profit and Loss Account(s), of the profit	the abovenamed assessee's affairs as at
(1	——————————————————————————————————————	or loss of his accounting year(s) ending on
*my/o	tatement of particulars required for the purposes of the deduction our opinion and to the best of * my/our information and according to the deduction of the de	
Place.	Signed:	
Date	Accountant†	
	Membership No:	
Notes	·	
1. 2.	†This report is to be given by an accountant as defined in the 288 of the Income-tax Act,1961.	
3.	Where any of the matters stated in this Report is answered in shall state the reasons for the same.	the negative or with a qualification, the Report
	ANNEXURE TO FORM NO	. 3AE
STAT	SECTION A TEMENT OF PARTICULARS REQUIRED FOR THE PURPOSI	ES OF DEDUCTION UNDER SECTION 35D
1.	Date of commencement of business	
2.	Where the deduction is claimed with reference to the expenditu	ure incurred in
	connection with the extension of the industrial undertaking or the	
	a new industrial unit, the date on which the extension was con	
	industrial unit commenced production or operation	process of new
	nouse and commences production of operation	
*3.	Qualifying amount of expenditure :	
	† (a) Expenditure in connection with-	
	(i) preparation of feasibility report	Rs
	(ii) preparation of project report	Rs
	(iii) conducting market survey or any other survey necessary	
	for the business of the assessee	Rs
	(iv) engineering services relating to the business of the	
	assessee	Rs
	(b) Legal charges for drafting any agreement between the assessee and any other person for any purpose relating to the setting up or conduct of the business of the assessee	
	8 ·F	Rs
	TOTAL	Rs
	Whether Form No. 3AF has been filed as per the provisions of rule 6ABBB?	Yes/No
‡4.	Cost of the project, i.e., actual cost of: (i) land and buildings (including expenditure on development)	
	(ii) leaseholds	Rs
	(iii) plant and machinery	Rs
	(iv) furniture and fittings	Rs
	(v) railway sidings	Rs

		Ks			
	TOTAL	Rs			
5.	Deduction claimed under section 35D	Rs			
5.	Deduction claimed under section 33D	Κ5			
DI		G: 1			
		_			
Date.		Accountant			
		Address:			
		Membership N	lo:		
		1			
STA	TEMENT OF PARTICULARS REQUIRED FOR Name(s) of mineral(s) or group(s) of associ	iated minerals in	TION UNDER SECTION 35E		
	respect of which operation relating to prospecting	ng or development			
	were undertaken				
2.	Year of commercial production				
3.	Qualifying amount of expenditure:				
Year	r in which expenditure was incurred	Amount of expenditure	e (Give details) Rs.		
1. 2. 3. 4. 5.	•				
Date.		Accountant			
		Name:			
			Vo:		
		Wembership is			
	ere the qualifying expenditure was incurred during due given.	ing more than one year, year-	wise details of the expenditure		
prepa servic	renditure prior to 1.4.2023 under this head shown ration of the feasibility report or project report or the seen carried out by the assessee himself of the Expenditure after 1.4.2023 under this head required.	r conducting market survey or a or by a concern which has been	ny other survey or engineering approved in this behalf by the		
+ In a	and where the claim related to multiminary owns	nass in summed before the common	normant of hyginass, the catual		
‡ In a case where the claim relates to preliminary expenses incurred before the commencement of business, the cost of the specified assets which are shown in the books of the assessee as on the last day of the previous which the business was commenced should be given. In a case where the expenses were incurred in connection the extension of the industrial undertaking or the setting up of a new industrial unit, the actual cost of the speasets which are shown in the books of account as on the last day of the previous year in which the extension industrial undertaking was completed or the new industrial unit commenced production or operation (in so far a assets have been acquired or developed in connection with the extension of the industrial undertaking or the set of the new industrial unit) should be given.					
	FOI	RM NO. 3AF			
		rule 6ABBB]			
G.		(E-form)			
State	ement regarding preliminary expenses incurred				
	(2) of section 35D of the In	come-tax Act, 1961 by the ass	essee		
Name	e of the Assessee	Name			
		Status			
	}	D 11 (11)			
		Residential status			
		Permanent Account Number			
		Aadhaar number (if applicable)			

				Ac	Tax Deduction and Collection Account Number (if applicable)								
					ldress								
Relevant previous year for which the statement is being filed													
	Expenditure in connection with:*		Details of expend	diture ind									
	Nature of activity (See Note 1)	Whether carried out by assessee itself (Y/N)	Name and address of person (s) carrying out the activity (See Note 2)	PAN of the person(s	Whether the person (other s) than assessee itself), has prior experience in carrying out the activity (Y/N)				If tax deducted at source, then provide:				
						Paid in Cash	Paid other than in cash		of tax deducted	Section under which tax is deducted			
a.	Preparation of feasibility report												
	•••												
b.	Preparation of project report												
c.	Conducting market survey or any other survey necessary for business of the assessee												
d.	Engineering services relating to the business of the assessee												
*D				1		1			1				
I	down to be pro, d fied today, the	o hereby o	declare that what		rification d above is true t	to the be	st of m	y knov	wledge an	d belief.			

			Veri	ification	1						
I, do Verified today, the	2				is true	e to 1	the best	of my	knowledge	and bel	lief.
Place Date											
							Signat	are of t	he Authorise	ed Signa	atory

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

Note:

- 1. In case there is more than one person carrying out the activity, separate details to be filled.
- 2. If carried out by the assessee itself, write "SELF".".

[Notification No. 54/2023/ F. No. 370142/24/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 519 (E), dated 18.7.2023.